11-2-19

प्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । उपस्थित अधिवक्ता को स्थगन पत्र पर सुना गया। अधिवक्ता ने कथन किया है कि उपखण्ड अधिकारी, आहोर ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2016 के द्वारा मौजा निम्बला के खसरा संख्या 816 रकबा 0.85 हैक्टर किस्म गै.मु. सडक, खसरा संख्या 817 रकबा 1.00 हैक्टर किस्म गै.मु उकरडा, खसरा संख्या 818 रकबा 3.99 हैक्टर किस्म गै.मु. बंजड, खसरा संख्या 815 रकबा 2.63 हैक्टर किस्म गै.मु तालाब, जो सरकार के खाते मे भूमि दर्ज है। उक्त भूमि 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबंधित भूमि को रेस्पोडेन्टस के खाते मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जो गैर कानूनी है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.5.2016 की पालना प्रभाव को स्थगित किया जावे।

हमने राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों मनन किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होता है। उपखण्ड अधिकारी, आहोर के रारजस्व प्रार्थना संख्या 44/2002 मे पारित आदेश दिनांक 25.5.2016 की पालना व प्रभाव को अग्रिम आदेश स्थगित किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टार हो कर निर्णित होकर .नम्बर से कम हो।

(ललित कुमार गुप्ता)
डिवीजनल कमिशनर,
जोधपुर